रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1253/2026/709/22-2-2026-17(382)/2026

लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लायक सिंह (बन्दी संख्या-333/2025) पुत्र श्री गजराम, निवासी- ग्राम-बिधौती फाज़लपुर, थाना-गुन्नौर, जनपद-सम्भल, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या--677/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट), कोर्ट सं०-02, बदायूँ के दण्डादेश दिनांक 07.08.2025 द्वारा आजीवन कारावास सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 09 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1253/2026/709(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।

3- पुलिस अधीक्षक, सम्भल।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, बदायूँ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।